# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 189/2016 तारीख रजू:– 08.12.2016

पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह
R.A.S.

बालू पुत्र हुक्मी जाति माली निवासी कल्याणपुर सायटा तहसील हिण्डौन जिला करौली ———————————————— वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार तामील जरिये जिला कलक्टर, जिला करौली
2. लैण्ड होल्डर तामील जरिये तहसीलदार तहसील हिण्डौन —— प्रतिवादीगण

## दावा बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री हरिबल्लभ चतुर्वेदी एडवोकेट वादी
2. पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन

## निर्णय दिनांक :– 12-10-2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी ने दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 195 रकबा 0.72 है0, 196 रकबा 0.42 है0, 199 रकबा 0.80 है0 वाके ग्राम कल्याणपुर सायटा तहसील हिण्डौन जिला करौली स्थित है। जिसका साबिक खसरा नम्बर 96 मिन है, जो वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है।

वाद पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 163 रकबा 0.17 है0, 178 रकबा 0.20 है0, 193 रकबा [illegible] है0, [illegible] रकबा 1.97 है0, 202 रकबा 0.12 है0, 206 रकबा 0.10 है0, 208 रकबा [illegible] है0, 229 रकबा 0.98 है0, 254/821 रकबा 0.30 है0, 255 रकबा 0.81 है0, [illegible] रकबा 0.28 है0, 257 रकबा 2.50 है0, 257/816 रकबा 0.76 है0, 258 रकबा 1.18 है0,259 रकबा 0.32 है0, 260 रकबा 0.30 है0, 261/811 रकबा 0.42 है0, 267 रकबा 0.04 है0, 268 रकबा 0.13 है0, 294 रकबा 0.20 है0, 298 रकबा 0.39

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verifie
Digitally signed by Anoop
Date: 2021.12.17 14:34:2
Reason: SelfAttested

है0, 299 रकबा 0.10 है0, 305 रकबा 0.12 है0, 310/818 रकबा 0.19 है0, 354 रकबा 0.18 है0, 355 रकबा 0.22 है0, 357 रकबा 0.11 है0, 378 रकबा 0.19 है0, 381 रकबा 0.13 है0, 382 रकबा 0.12 है0, 383 रकबा 0.13 है0, 384/804 रकबा 0.19 है0, 386 रकबा 0.15 है0, 387 रकबा 0.41 है0, 388 रकबा 0.44 है0, 390 रकबा 0.41 है0, 391 रकबा 0.40 है0, 398 रकबा 0.39 है0, 400 रकबा 0.51 है0, 401 रकबा 0.12 है0, 405 रकबा 0.16 है0, 409 रकबा 0.30 है0, 420 रकबा 1.35 है0, 421 रकबा 0.22 है0, 422/809 रकबा 0.23 है0, 424/810 रकबा 0.13 है0, 431 रकबा 2.21 है0, 442 रकबा 0.06 है0, 454 रकबा 0.33 है0, 483 रकबा 0.13 है0, 484 रकबा 3.21 है0, 485/815 रकबा 0.33 है0, 489 रकबा 0.59 है0, 714 रकबा 0.40 है0, 717 रकबा 0.48 है0, 718 रकबा 0.47 है0, 719 रकबा 0.54 है0, 723 रकबा 0.31 है0, 737 रकबा 1.15 है0, 738 रकबा 0.25 है0, 739 रकबा 0.23 है0, 740 रकबा 0.38 है0, 741 रकबा 0.47 है0, 755 रकबा 0.37 है0, 757 रकबा 0.31 है0, 760 रकबा 1.97 है0, 778 रकबा 0.33 है0, 782 रकबा 0.68 है0, 783/817 रकबा 0.09 है0, 828/822 रकबा 4.23 है0, 834/210 रकबा 0.45 है0 कुल किता 73 कुल रकबा 39.72 हैक्टैयर वाके ग्राम कल्याणपुर सायटा तहसील हिण्डौन स्थित है। जिसमें से हाल खसरा नम्बर 197 रकबा 0.49 है0 का साबिक खसरा नम्बर 96 मिन व 84 मिन है।

वाद पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 96 मिन जो एक बडा रकबा था में से वादी वालू के हक में माह अक्टूबर सन् 1964 में रकबा 9 बीघा आराजी अलोटमेंन्ट हुई थी, जिसकी खातेदारी भी राजस्व रिकार्ड में वादी के हक में दर्ज हो चुकी थी। वादी उक्त आराजीयात पर अलोटमेन्ट के दिन से ही आज दिन तक लगातार बिना किसी रोक टोक के मौके पर काबिज काश्त हे। जिससे दीगर किसी भी व्यक्तिय या प्रतिवादीगण का कोइ सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop
Date: 2021.12.17 14:34:22
Reason: SelfAttested

वाद पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि उपरोक्त कृषि आराजी साबिक खसरा नम्बर 96 मिन रकबा 9 बीघा का दौरान सेटिलमेन्ट, सेटिलमेन्ट अधिकारीगण व कर्मचारीगण ने भूल से राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी में [illegible] की खातेदारी में आराजी मुतजिका मद नं01 वाद पत्र में दर्ज आराजीयात को तो दर्ज कर दिया जो कुल रकबा 1.94 है0 होता है। इस प्रकार सेटिलमेन्ट

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी में भूल से 0.31 है0 रकबा कम कर दिया है एवं साथ ही हाल खसरा नम्बर 201,202 व 203 की तरफ वादी के हाल खसरा नम्बर 199 के दक्षिणी में रकबा 0.10 है0 जो कदीमी शमशान भूमि है, जिस पर गांव के मृतक व्यक्तियों का दाहसंस्कार किया जाता है को वादी के खाते में गलत दर्ज कर दिया है जबकि वास्तंव में हाल खसरा नम्बर 199 में से खसरा नम्बर 201,202 व 203 के लगवा 0.18 है0 आराजी शमशान दर्ज की जानी चाहिए थी। इस प्रकार सेटिलमेन्ट अधिकारी व कर्मचारीगण ने वादी की अलोटशुदा आराजी रकबा 9 बीघा में से 0.31 है0 रकबा तो रिकोर्डेड कम कर दिया और 0.18 है0 रकबा जो शमशान भूमि है, जिस पर वादी का ना ही तो पहले कभी कब्जा रहा है और ना ही आज मौके पर कब्जा है, को वादी की खातेदारी में गलत तरीके से लगाकर वादी के रकबे से कम कर दिया है। इस प्रकार दौराने सेटिलमेन्ट, सेटिलमेन्ट अधिकारीगण व कर्मचारीगण ने वादी का अलोटमेन्टशुदा अराजी में से कुल रकबा 31 + 18 =49 एयर कम कर दिया है जबकि वादी वास्तंव में अलोटमेन्ट के दिन से आज दिन तक आराजी कृषि भूमि मुतजिका मद नं01 वाद पत्र हाल खसरा नम्बर 195 रकबा 0.72 है0, 196 रकबा 0.42 है0, 199 रकबा 0.80 है0 में से 0.62 है0 पर एवं हाल खसरा नम्बर 197 रकबा 0.49 है0 सम्पूर्ण पर काबिज काश्त चला आ रहा है। जिस पर वादी ने मौके पर बरछार कर आगामी फसल के लिए तैयार कर रखा है। सेटिलमेन्ट अधिकारीगण व कर्मचारीगण ने दौराने सेटिलमेन्ट भूल से हाल खसरा नम्बर 197 रकबा 0.49 है0 को हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सरकारी कृषि योग्य भूमि दर्ज कर दिया है। जो गलत है एवं इसी प्रकार सेटिलमेन्ट अधिकारीगण व कर्मचारीगण ने दौराने सेटिलमेन्ट भूल से वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी के हाल खसरा नम्बर 197 रकबा 0.49 [illegible] मिलान क्षेत्रफल में साबिक खसरा नम्बर 96 मिन से बनना तो सही दर्ज [illegible] है लेकिन खसरा नम्बर साबिक 84 मिन से बनना बिल्कुल [illegible] वास्तंव में हाल खसरा नम्बर 197 रकबा 0.49 है0 तन्हा साबिक खसरा नम्बर 96 मिन से ही बना है। इस प्रकार सेटिलमेन्ट अधिकारीगण व कर्मचारीगण को [illegible] के कब्जे काश्त खातेदारी के हाल खसरा नम्बर 197 को राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी में सरकारी कृषि योग्य भूमि दर्ज करने का एवं राजस्व रिकार्ड मिलान

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop S
Date: 2021.12.17 14:34:22
Reason: SelfAttested

क्षेत्रफल में हाल खसरा नम्बर 197 का साबिक खसरा नम्बर 84 मिन से बनना दर्ज करके एवं वादी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 199 में हाल खसरा नम्बर 201,202, 203 के लगवा शमशान की भूमि का 18 एयर रकबा दर्ज करके भारी कानूनी भूल की है, जो काबिले दुरूस्ती है, वादी हाल खसरा नम्बर 197 रकबा 0.49 है0 सम्पूर्ण रकबे पर अलोटमेन्ट के दिन से आज दिन तक मौके पर बेरोकटोक बिना किसी अवरोध के काबिज है। इस प्रकार उक्त आराजी की वादी लोंग–लोंग पजेशन एवं एडवर्ष पजेशन के आधार पर भी खातेदारी की घोषणा अपने हक में करा पाने का अधिकारी है।

वाद पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि वादी अनपढ एवं गरीब काश्तकार पेशा व्यक्ति है जबकि प्रतिवादीगण सरकारी अधिकारी एवं प्रभावशाली व्यक्ति है जो वादी के उक्त राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी में सेटिलमेन्ट अधिकारीगण व कर्मचारीगण की भूल से रकबा कम दर्ज हो जाना एवं हाल खसरा नम्बर 197 को सरकारी कृषि योग्य भूमि दर्ज कर दिये जाने से एवं राजस्व रिकार्ड मिलान क्षेत्रफल में हाल खसरा नम्बर 197 का साबिक खसरा नम्बर 84 मिन से बनना दर्ज हो जाने का नाजायज फायदा उठाकर वादी को अन्तर्गत धारा 91 राज0लैण्ड रेवन्यू एक्ट का नोटिस देकर हैरान परेशान करते रहते हैं एवं उक्त आराजी से आये दिन बेदखल करने की धमकी देते रहते हैं।

वाद पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 15.11.2016 को वक्त करीबन सुबह 11 बजे का है कि वादी ने प्रतिवादी सं02 के हिण्डौन स्थित कार्यालय में आकर प्रतिवादीगण से कहा कि हमारा राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल सेटिलमेन्ट अधिकारीगण व कर्मचारीगण ने गलत दर्ज कर दिया है इसे दुरूस्त करवा दो एवं मेरी खातेदारी व कब्जे के हाल खसरा नम्बर 199 रकबा 0.80 है0 में से हाल खसरा नम्बर 201,202, 203 के लगंवा 18 एयर रकबा जो शमशान की आराजी को गैरमुमकिन शमशान [illegible] दो, मैं मेरे अलोटमेन्टशुदा रकबे पर ही मौके पर सही काबिज हूं फिर भी आप आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण हमारे खिलाफ अन्तर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवन्यू एक्ट की कार्यवाही करने की धमकी क्यों देते हैं और क्यों उक्त कार्यवाही हमारे खिलाफ करते हैं। प्रतिवादी नं02 ने वादी से उक्त सेटिलमेन्ट अधिकारीगण व कर्मचारीगण की गलती से हो गये हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व मिलान

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Sing
Date: 2021.12.17 14:34:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

क्षेत्रफल गलत इन्द्राजात को सही कराने से साफ इन्कार कर दिया एवं एलानिया धमकी दी कि या तो तुम सक्षम अदालत में इन गलत इन्द्राजात को सही करवा लो अन्यथ हम तुम्हारे खिलाफ अन्तर्गत धारा 91 राज0लैण्ड रेवन्यू एक्ट की कार्यवाही कर तुमको बेदखल करके रहेंगें। इसलिए यह दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश कर लाजिम आया है।

वाद पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रतिवादीगण सरकारी अधिकारीगण हैं, जिनके खिलाफ दावा पेश करने से पूर्व अन्तर्गत धारा80 जा0दी0 का दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु दावा अर्जेन्ट नेचर का है इसलिए प्रतिवादीगण एक दो दिन में ही वादी को अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात से बेदखल करने पर उतारू हैं। इसलिए दावा प्रतिवादीगण को बिना नोटिस दिये ही न्यायालय की इजाजत से पेश किया जा रहा है, प्रार्थना पत्र बाबत् इजाजत वाद पत्र के साथ अलग से पेश है।

वाद पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि बिनाय दावा वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण दिनांक 15.11.2016 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी के राजस्व रिकार्ड में हो गये गलत इन्द्राजात को सही कराने से इन्कार करने एवं बेदखल करने की धमकी देने से बमुकाम हिण्डौन पैदा हुई हे, दावा हाजा अन्दर मियाद पेश **है**।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती डिकी किया जाकर इस अम्र की घोषणा की जावे कि आराजी हाल खसरा नम्बर 197 रकबा 0.49 है0 वाके ग्राम कल्याणपुर सायटा तहसील हिण्डौन सम्पूर्ण रकबे का वादी खातेदार काश्तकार है एवं हाल खसरा नम्बर 197 तन्हा साबिक खसरा नम्बर 96 मिन से ही बना है, हाल राजस्व रिकार्ड मिलान क्षेत्रफल में साबिक खसरा नम्बरान के कॉलम में से साबिक खसरा नम्बर 96 मिन को इजाफ किया जाकर वादी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी के हाल खसरा नम्बर 199 [illegible] 0. 80 है0 में से हाल खसरा नम्बर 201,202,203 की तरफ का खसरा नम्बर 201, 202 व 203 के लंगवा रकबा 0.18 है0 आराजी कम की जाकर गैरमुमकिन शमशान दर्ज किया जावे। इसी प्रकार का अमल दरामद हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मिलान क्षेत्रफल व नक्शा ट्रेस में किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि हाल खसरा नम्बर 195

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop
Date: 2021.12.17 14:34:2
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रकबा 0.72 है0, 196 रकबा 0.42 है0, 199 रकबा 0.80 है0 में से रकबा 0.62 है0 एवं खसरा नम्बर 197 रकबा 0.49 है0 सम्पूर्ण से वादी को वादी के खिलाफ अन्तर्गत धारा 91 राज0लैण्ड रेवन्यू एक्ट की कार्यवाही कर या अन्य किसी भी प्रकार से बेदखल ना करें और ना ही किसी अन्य से करावें। वादी को उक्त आराजी पर शान्तिपूर्वक काश्त करने देवें, ऐसा कोई कृत्य ना तो स्वंय करें और ना ही किसी अन्य से करावें कि जिससे हकूक वादी पर विपरीत प्रभाव पडे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन ने जबाव दावा पेश कर जबावदावा के मद नं01 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं01 स्वीकार है। मुताविक मिलान क्षेत्रफल ग्राम कल्याणपुर सायटा स्थित साबिक खसरा नम्बर 96 मिन से हाल खसरा नम्बर 195 रकबा 0.72 है0, 196 रकबा 0.42 है0, 199 रकबा 0.80 है0 बने हैं।

जबावदावा के मद नं02 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं02 स्वीकार है। ग्राम कल्याणपुर सायटा स्थित हाल खसरा नम्बर 197 रकबा 0.49 है0 साबिक खसरानम्बर 96 मि व 84 मिन से मुताविक मिलान क्षेत्रफल बने हैं।

जबावदावा के मद नं03 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 3 आंशिक स्वीकार है। शेष तथ्य स्वीकार नहीं हैं।

जबावदावा के मद नं04 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं04 आंशिक स्वीकार है। वादी के खाते में दर्ज खसरा नम्बर 199 रकबा 0.80 है0 में दक्षिण की ओर खसरा नम्बर 201,202,203 के लंगवा हिस्से पर कदीमी शमशान बना हुआ है तथा आवंटित भूमि खसरा नम्बर 96 मिन रकबा 9 बीघा से हाल खसरा नम्बर 195 रकबा 0.72 है0, 196 रकबा 0.42 है0, 199 रकबा 0.80 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.94 है0 बने है। अन्य तथ्य स्वीकार नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Si
Date: 2021.12.17 14:34:22 I
Reason: SelfAttested

जबावदावा के मद नं05 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं05 स्वीकार नहीं है।

जबावदावा के मद नं06 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं06 स्वीकार नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबावदावा के मद नं07 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 7 लगायत 10 कानूनी है।

जबावदावा के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि यह कि, वाद पत्र का मद नं0 11–क,ख,ग,घ कानूनी हैं।

जबावदावा के मद नं09 में दर्ज किया है कि साबिक खसरा नम्बर 96 मिन रकबा 9 बीघा ग्राम कल्याणपुर सायटा के मुताविक मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध ने हाल खसरा नम्बर 195 रकबा 0.72 है0, 196 रकबा 0.42 है0, 199 रकबा 0.80 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.94 है0 ग्राम कल्याणपुर सायटा बनाये हैं, जो वादी के खाते में हाल जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। मुताविक मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का करसौली एवं भू–अभिलेख निरीक्षक वृत हिण्डौन ने अंकित किया है कि वादी के खाते में दर्ज खसरा नम्बर 199 रकबा 0.80 है0 के दक्षिणी ओर स्थित खसरा नम्बर 201, 202, 203 के लंगवा के हिस्से पर कदीमी शमशान मौजूद है। जिस पर ग्रामवासियान द्वारा दाह संस्कार का कार्य किया जाता रहा है तथा वादी के खसरा नम्बर 196 के पश्चिमी दिशा में स्थित खसरा नम्बर 197 रकबा 0.49 है0 जो हाल राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है पर वादी का कब्जा काश्त है।

वकील वादी ने दस्तावेजी सबूत में असल पट्टा बालू पुत्र हुक्मी जाति माली निवासी कल्याणपुर सायटा साबिक खसरा नम्बर 96/1 रकबा 9 बीघा ग्राम कल्याणपुर सायटा तहसील हिण्डौन का दिनांक 09.10.1964 को दिया गया है प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी सं0 2038–41 प्रदर्श–2, नकल नक्शा सीट साबिक नम्बरान प्रदर्श–3, नकल नक्शा सीट हाल नम्बरान प्रदर्श–4 व 5, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–6 व 7, नकल जमाबन्दी सं0 2069–72 प्रदर्श–8 व 9, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2015–18 प्रदर्श–10, नकल खसरा गिरदा[illegible] 2019 प्रदर्श–11, पेनल्टी की रसीद संख्या 0095522 [illegible] असल नोटिस प्रदर्श–13 लगायत 19, नकल खसरा [illegible] प्रदर्श–20, नकल खसरा परिवर्तनशील सं0 2051 प्रदर्श–21, नकल ख[illegible] परिवर्तनशील सं0 2053 प्रदर्श–22, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2057–60 प्रदर्श–23, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2065–68 प्रदर्श–24, नकल खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop[illegible]
Date: 2021.12.17 14:34:[illegible]
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

गिरदावरी सं0 2061–64 प्रदर्श–25, नकल खसरा परिवर्तनशील सं0 2070 प्रदर्श–26, नकल खसरा परिवर्तनशील सं0 2071 प्रदर्श–27, नकल खसरा परिवर्तनशील सं0 2072 प्रदर्श–28, नकल मौका रिपोर्ट दिनांक 16.07.2019 प्रदर्श–29 पेश किये हैं तथा जुवानी सहादत में वादी बालू का शपथ पत्र पेश कर बयान कराये हैं।

वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन उपस्थित। वादी अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है एवं वादी का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने जबावदावा में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादी का दावा मुताविक जबावदावा डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अवगत कराया है।

वकील वादी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। असल पट्टा बालू पुत्र हुक्मी जाति माली निवासी कल्याणपुर सायटा साबिक खसरा नम्बर 96/1 रकबा 9 बीघा ग्राम कल्याणपुर सायटा तहसील हिण्डौन का दिनांक 09.10.1964 को दिया गया है जो प्रदर्श–1 है। जिसके अनुसार यह स्पष्ट है कि साबिक खसरा नम्बर 96/1 ग्राम कल्याणपुर सायटा में से रकबा 9 बीघा का आवंटिन दिनांक 09.10.1964 को वादी के हक में आवंटन किया गया है। उक्त आवंटन के आधार पर वादी के हक में खातेदारी दर्ज की गई है जो नकल जमाबन्दी सं0 2038–41 प्रदर्श–2 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 96 रकबा 9 बीघा ग्राम कल्याणपुर सायटा की खातेदारी बालू पुत्र हुक्मी जाति माली निवासी पटपरीपुरा के नाम दर्ज रिकार्ड से स्पष्ट है।

नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–6 व 7 के अनुसार दौराने सेटलमेन्ट साबिक खसरा नम्बरान से नवीन खसरा नम्बरान निम्नानुसार कायम किये गये हैं–

| साबिक खसरा नम्बर | रकबा | हाल खसरा नम्बर | रकबा हैक्टेयर |
|---|---|---|---|
| 96 मिन | 9 बीघा | 195 | 0.72 |
| 96 मिन | 9 बीघा | 196 | 0.42 |
| 96 मिन | 9 बीघा | 199 | 0.80 |
| 96 मिन<br>84 मिन | –<br>– | 197 | 0.49 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop S
Date: 2021.12.17 14:34:22
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नकल जमाबन्दी सं0 2069—72 प्रदर्श—8 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 195 रकबा 0.72 है0, 196 रकबा 0.42 है0, 199 रकबा 0.80 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.94 है0 वाके ग्राम कल्याणपुर सायटा तहसील हिण्डौन की खातेदारी बालू पुत्र हुक्मा कौम माली सा0 पटपरी पुरा खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2069—72 प्रदर्श—9 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 197 रकबा 0.49 है0 वाके ग्राम कल्याणपुर सायटा तहसील हिण्डौन की खातेदारी कृषि योग्य भूमि सरकारी सिवायचक दर्ज रिकार्ड है।

नकल खसरा परिवर्तित निर्धारण सम्बत् 2049 प्रदर्श—20 के अनुसार खसरा नम्बर 197 रकबा 0.49 है0 किस्म नहरी दोयम में वादी वालू पुत्र हुकमा माली पटपरीपुरा के द्वारा बाजरा की फसल काश्त की गई है।

नकल खसरा परिवर्तित निर्धारण सम्बत् 2051 प्रदर्श—21 के अनुसार खसरा नम्बर 197 रकबा 0.49 है0 किस्म नहरी दोयम में वादी वालू पुत्र हुकमा माली पटपरीपुरा के द्वारा बाजरा की फसल काश्त की गई है।

नकल खसरा परिवर्तित निर्धारण सम्बत् 2053 प्रदर्श—22 के अनुसार खसरा नम्बर 197 रकबा 0.49 है0 किस्म नहरी दोयम में वादी वालू पुत्र हुकमा माली पटपरीपुरा के द्वारा बाजरा की फसल काश्त की गई है।

नकल खसरा गिरदावरी सं0 2057—60 प्रदर्श— 23 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 197 रकबा 0.49 है0 ग्राम कल्याणपुरसायटा सिवायचक भूमि में प्रतिवर्ष फसल काश्त की गई।

नकल खसरा गिरदावरी सं0 2061—64 प्रदर्श— 25 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 197 रकबा 0.49 है0 ग्राम कल्याणपुरसायटा सिवायचक भूमि में प्रतिवर्ष फसल काश्त की गई।

नकल खसरा गिरदावरी सं0 2065—68 प्रदर्श— 24 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 197 रकबा 0.49 है0 ग्राम कल्याणपुरसायटा सिवायचक भूमि में प्रतिवर्ष फसल काश्त की गई।

नकल खसरा परिवर्तित निर्धारण सम्बत् 2070 प्रदर्श—26 के [illegible] खसरा नम्बर 197 रकबा 0.49 है0 किस्म नहरी दोयम में वादी वालू [illegible] माली पटपरीपुरा के द्वारा 0.25 है0 में सरसों तथा 0.2[illegible] रबी काश्त की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop
Date: 2021.12.17 14:34:2
Reason: SelfAttested

नकल खसरा परिवर्तित निर्धारण सम्बत् 2071 प्रदर्श—27 के अनु[illegible] खसरा नम्बर 197 रकबा 0.49 है0 किस्म नहरी दोयम में वादी वालू पुत्र हुकमा माली पटपरीपुरा के द्वारा बाजरा की फसल काश्त की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नकल खसरा परिवर्तित निर्धारण सम्बत् 2072 प्रदर्श–28 के अनुसार खसरा नम्बर 197 रकबा 0.49 है0 किस्म नहरी दोयम में वादी वालू पुत्र हुकमा माली पटपरीपुरा के द्वारा बाजरा की फसल काश्त की गई है।

तहसीलदार हिण्डौन के पत्रांक एलआर/2019/854 दिनांक 18.07.2019 से भू–अभिलेख निरीक्षक वृत हिण्डौन की रिपोर्ट पेश की है जिसमें अंकित किया है कि ग्राम कल्याणपुर सायटा का खसरा नम्बर 197 रकबा 0.49 है0 वर्तमान में मुताविक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सिवायचक दर्ज है। मौके पर उक्त खसरा नम्बर खाली पडा हुआ है। इस खसरा नम्बर में वर्तमान में एक झोंपडी, पानी की टंकी व विधुत की डी0पी0 लगी हुई है। इसके अलावा उक्त पूरा खसरा नम्बर 197 पडत पडा हुआ है तथा इसी के साथ फर्द मौका दिनांक 16.07.2019 पेश किया हैं जिसमें खसरा नम्बर 197 पर झोंपडी, पानी की टंकी बालू पुत्र हुकमी माली निवासी कल्याणपुर सायटा द्वारा बनाई जाना मौके पर उपस्थित व्यक्तियों ने बताया है।

तहसीलदार हिण्डौन ने पत्रांक एलआर/2021/4086 दिनांक 05.08.2021 प्रेषित किया है जिसमें विषय में अंकित किया है कि मुकदमा नं0 189/16 उनवानी बालू पुत्र हुक्मी बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार में खसरा नम्बर 195,196,197,199 वाके ग्राम कल्याणपुर सायटा में रिकार्ड व मौका की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के कम में –अंकित किया है कि उक्त भूमि की रिकार्ड व मौका की रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक वृत हिण्डौन व पटवारी हल्का करसौली से प्राप्त की गई जो निम्नानुसार है – खसरा नम्बर 195,196,199 वाके ग्राम कल्याणपुर सायटा हाल रिकार्ड बालू पुत्र हुक्मी जाति माली निवासी कल्याणपुर सायटा दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि पर खातेदारी खातेदार के ही कब्जा काश्त है। खसरा नम्बर 199 वाके ग्राम कल्याणपुर सायटा में मौके पर दक्षिण दिशा की तरफ दिशा शमशान भूमि मौका है। जिसका लगभग रकबा 10 से 15 एयर शमशान के रूप में ग्राम पटपरीपुरा के ग्रामवासियों द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है। खसरा नम्बर 197 रकबा 0.49 है0 किस्म गै0मु0 सिवायचक वाके ग्राम कल्याणपुर सायटा जो कि खसरा नम्बर 196 की सीमा से लगा हुआ है। रिपोर्ट मय फर्द मौका (नजरी नक्शा) प्रेषित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह [illegible] है कि वादी को सेटिलमेन्ट से पूर्व के साबिक खसरा नम्बर 96/1 रकबा 9 बीघा ग्राम क[illegible] सायटा का सन् 1964 में आवंटन/ अलोटमेन्ट हुआ [illegible] खसरा नम्बर 96 रकबा 9 बीघा वाके ग्राम कल्याणपुर सायटा वादी की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। जिसके दौराने सेटिलमेन्ट हाल खसरा नम्बर 195 रकबा 0.72 है0, 196 रकबा 0.42 है0, 199 रकबा 0.80 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.94 है0 वाके ग्राम कल्याणपुर सायटा तहसील हिण्डौन कायम करते हुए खातेदारी बालू पुत्र हुक्मा कौम माली सा0 पटपरी पुरा खातेदार के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि साबिक रकबा 9 बीघा के हिसाब से 2.25 है0 की खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by And
Date: 2021.12.17 14:34
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वादी के नाम हाल रिकार्ड में सेटिलमेन्ट विभाग को दर्ज करनी चाहिए थी इस प्रकार वादी को साबिक रकबा के मुकावले रकबा 0.31 है0 हाल रिकार्ड में कम दिया गया है तथा साबिक खसरा नम्बर 96 मिन एवं 84 मिन से कायम किये गये हाल खसरा नम्बर 197 रकबा 0.49 है0 जिस पर वादी का कब्जा काश्त था को हाल राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज कर दिया तथा वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 199 रकबा 0.80 है0 में रकबा 0.18 है0 शमशान भूमि को दर्ज कर दिया है। इस प्रकार सेटिलमेन्ट विभाग ने वादी की खातेदारी की भूमि में शमशान भूमि को रकबा 0.18 है0 को दर्ज कर दिया है। तहसीलदार हिण्डौन के पत्रांक एलआर/2019/854 दिनांक 18.07.2019 से भू-अभिलेख निरीक्षक वृत हिण्डौन की रिपोर्ट पेश की है जिसमें अंकित किया है कि ग्राम कल्याणपुर सायटा का खसरा नम्बर 197 रकबा 0.49 है0 वर्तमान में मुताविक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सिवायचक दर्ज है। मौके पर उक्त खसरा नम्बर खाली पडा हुआ है। इस खसरा नम्बर में वर्तमान में एक झोंपडी, पानी की टंकी व विधुत की डी0पी0 लगी हुई है। इसके अलावा उक्त पूरा खसरा नम्बर 197 पडत पडा हुआ है तथा इसी के साथ फर्द मौका दिनांक 16.07.2019 पेश किया हैं जिसमें खसरा नम्बर 197 पर झोंपडी, पानी की टंकी बालू पुत्र हुकमी माली निवासी कल्याणपुर सायटा द्वारा बनाई जाना मौके पर उपस्थित व्यक्तियों ने बताया है। इस प्रकार विवादित आराजी खसरा नम्बर 197 रकबा 0.49 है0 ग्राम कल्याणपुर सायटा पर वादी का ही कब्जा काश्त है। वादी के द्वारा पेश किये गये अन्य दस्तावेजी सबूत जैसे पैनल्टी रसीद, धारा 91 के नोटिसों की प्रति, खसरा परिवर्तनशील की नकलें, खसरा गिरदावरी की नकलों से साफ जाहिर है कि वादी विवादित आराजी खसरा नम्बर 197 रकबा 0.49 है0 पर काबिज काश्त है तथा तहसीलदार हिण्डौन की रिपोर्ट दिनांक 05.08.2021 के अनुसार खसरा नम्बर 197 वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 196 के लगमा है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 197 साबिक खसरा नम्बर 96 मिन एवं 84 मिन से दौराने सेटिलमेन्ट कायम किया गया है। इस प्रकार यह भली भॉति स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 197 रकबा 0.49 है0 वादी के साबिक खसरा नम्बर 96 मिन रकबा 9 बीघा का ही एक भाग है। जिस पर वादी अलोटमेन्ट के दिन से बदस्तूर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा सिवायचक दर्ज होने के उपरान्त भी उसका पजेशन बराबर रहा है तथा तहसीलदार द्वारा वादी के खिलाफ की गई धारा 91 की कार्यवाही से भी वादी का कब्जा काश्त खसरा नम्बर 197 रकबा 0.49 है0 पर स्पष्ट रूप से साबित है तथा खसरा नम्बर 197 रकबा 0.49 है0 वादी के साबिक खसरा नम्बर 96 मिन रकबा 9 बीघा का ही भाग होना साबित है। इस प्रकार सेटिलमेन्ट विभाग के द्वारा की गई गलती की दुरूस्ती वादी साबिक रकबा 9 बीघा के हिसाब से नवीन रकबा 2.25 है0 की सम्पर्ण खातेदारी कराने का अधिकारी है अर्थात वादी को कम दिये गये रकबा 0.31 है0 की खातेदारी एवं वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 199 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Si
Date: 2021.12.17 14:34:22
Reason: SelfAttested

0.80 है0 में से रकबा 0.18 है0 शमशान को हटवाकर इस प्रकार कुल रकबा 0.49 है0 की खातेदारी अपने नाम कराने का वादी अधिकारी साबित है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का भी अधिकारी साबित है। ऐसे हालात में वादी का दावा बाबत् घोषणा खातेदारी,इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा डिकी योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा डिकी किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 197 रकबा 0.49 है0 वाके ग्राम कल्याणपुर सायटा तहसील हिण्डौन का वादी बालू पुत्र हुक्मी जाति माली निवासी पटपरीपुरा (कल्याणपुर सायटा) तहसील हिण्डौन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 199 रकबा 0.80 है0 में से रकबा 0.18 है0 ( खसरा नम्बर 201,202,203 के लगवां) ग्राम कल्याणपुर सायटा को गैरमुमकिन शमशान सिवायचक घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेंगे। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 197 रकबा 0.49 है0 वाके ग्राम कल्याणपुर सायटा तहसील हिण्डौन में वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत पैदा ना तो स्वंय करें ना ही किसी अन्य से करावें। वादी को उक्त भूमि को शान्ति पूर्वक काश्त करने देवें। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि जिससे वादी के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे। निर्णय व डिकी की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17-12-2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( अनूपसिंह )
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी ( करौली )

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop S
Date: 2021.12.17 14:34:22
Reason: SelfAttested